AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR

Jodhpur - 342 304, (Rajasthan)

किष विश्वविद्यालय, जोधपुर

मंडोर. जोधपर-342304 (राजस्थान)

Dr. M. M. Kumawat OSD to Hon'ble Vice-Chancellor

No. F. ()//AU/Jodh/OSD/VCS/2020/ 1314

Mob: 9436200375

Date: 30/05/2020

CIRCULAR

It is observing that many officers/scientists/ employees of different units are directly correspondence to the higher authorities of the University. These officers/scientists/employees are not taking any comment/recommendations from their controlling officers/Heads while sending their letters which also not having dispatch number officially. This type of communication method is observed seriously by the higher authorities of the University headquarter.

Earlier, a letter from the Registrar office (copy enclosed) was already circulated to all units/centers of the University to not send any letter directly without forwarding by their controlling officer. It is also observed that some of the employees are giving copy of correspondence with Headqaurter to their controlling officer which also be treated as direct (Without Proper channel) correspondence. The direct correspondence by any personnel will not be taken officially without official dispatch & forwarding and action will not be taken. If any personnel will send the letter directly to higher authorities, a disciplinary action will be initiated against him/her to not follow and obey the instructions and he/she will be responsible for that.

Hence, all the controlling officers/Heads are requested to circulate this letter among all the employees of their units and also direct their subordinate scientists and employees to follow the proper procedure of correspondence to higher authorities.

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों के कई अधिकारी/वैज्ञानिक/कार्मिक सीधे ही विश्वविद्यालय के उच्च प्राधिकारियों से पत्राचार कर रहे हैं। इनके द्वारा अपने नियंत्रणं अधिकारियों / प्रमुख से बिना किसी टिप्पणी/अभिशंषा तथा बिना आधिकारिक/कार्यालय प्रेषण संख्या के पत्रों को सीधे ही भेजा जा रहा है। विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर उच्च अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की पत्राचार पद्धति को गंभीरता को देखा गया है।

इससे पहले, विश्वविद्यालय की सभी इकाइयों को कुलसचिव कार्यालय (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा एक अधिसूचना इस संबंध में जारी की गई थी ताकि कार्मिकों द्वारा उनके नियत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित किए बिना विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर सीधे कोई पत्र न भेजा जाए। यह भी देखा गया है कि कुछ कार्मिक विश्वविद्यालय मुख्यालय से अपने पत्राचार की प्रति (copy to) अपने नियंत्रक अधिकारी को दे रहे हैं, जिसे भी प्रत्यक्ष (बिना उचित माध्यम) पत्राचार ही माना जाएगा। भविष्य में, किसी भी कार्मिक द्वारा बिना उचित माध्यम के पत्राचार को वैध नहीं माना जाएगा और न ही उस पर कोई कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई कार्मिक बिना उचित माध्यम के विश्वविद्यालय के मुख्यालय से पत्राचार करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

अतः इस परिपत्र के संदर्भ में आग्रह है कि विश्वविद्यालय की सभी इकाइयों के अधिकारी / प्रमुख इसे अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कार्मिको के बीच प्रसारित कर उन्हें पत्र-व्यवहार की उचित प्रक्रिया व माध्यम के निर्देश प्रदान करें।

Vice Chancellor Secretariat

Copy to following for information and necessary action:

1. All Directors/ Deans/PC- AICRP on PM/CoE/ZDRs/ Officer In-charge/Senior Scientists & Head of KVK's, of Agriculture University, Jodhpur

2. PS to Hon'ble Vice Chancellor, Agriculture University, Jodhpur

3. Registrar, Agriculture University, Jodhpur

4. In-Charge University Website for upload on website.

Vice Chancellor Secretariat



Agriculture University, Jodhpur

Jodhpur - 342304 (Rajasthan) कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

जोधपुर - ३४२३०४ (राजस्थान)

क्रमांक एफ (101) कृविवि/जोध/स्थापना/ग्रुप I/2019/3292

दिनांक २० । १२ । १७ .

अधिस्चना

प्रायः ऐसा देखने में आया है कि विश्वविद्यालय की विभिन्न ईकाईयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी/वैज्ञानिक सीधे ही विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार करते है जिससे उनके नियंत्रण अधिकारी की राय/अभिशंषा नहीं मिल पाती।

अतः समस्त अधिष्ठाता / निदेशक / क्षेत्रीय निदेशक / प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों / अधिकारियों / वैज्ञानिकों को पाबंद करे कि वे सीधे ही विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार न करें। भविष्य में विश्वविद्यालय को बिना उचित माध्यम के प्राप्त पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

कूल सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1. समस्त निदेशक,
- 2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, जोधपुर/नागौर/सुमेरपुर।
- 3. वित्त नियंत्रक / परीक्षा नियंत्रक / भू सम्पत्ति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- 4. परियोजना समन्वियका, पी.सी. यूनिट, मंडोर, जोधपुर।
- 5. क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, मंडोर, जोधपुर/केशवाना, जालौर।
- 6. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- 7. प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र,
- 9 रक्षित पत्रावली।